



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: 1243 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3

दिनांक: 19.06.2018

कार्यालय ज्ञाप

सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पुनरीक्षित पेंशनरी लाभों/देयकों के निर्धारण/भुगतान विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 1650 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3 दिनांक 28.11.2017 एवं सपटित आदेश संख्या 368 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3 दिनांक 22.02.2018 के अनुक्रम में तथा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 147 / xxvii (7)02/2016 दिनांक 09.05.2018 की अनुरूपता में ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जिन्हें पिटकुल से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 07 (सात) प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अग्रेत्तर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1243 / मा०सं०एवंप्र०अनु० / पिटकुल / पी-3 तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त), (परिचालन)/ (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड शासन, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II) / समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
7. उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश को पिटकुल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
9. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)